पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता को प्रोत्साहित करते हुए कामर्शियल लेयर्स एवं ब्रायलर पैरेन्ट फार्म खोले जाने सम्बन्धी नीति

पशुपालन तथा डेयरी कार्य को लघु उद्योग के रूप में विकसित करना वर्तमान सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। उक्त की पूर्ति हेतु निर्मित प्रस्तुत योजना का उद्देश्य कुक्कुट पालन के क्षेत्र में उद्यमिता का विकास कर अण्डा उत्पादन/ब्रायलर चूजा उत्पादन (मांस हेतु) बढ़ाना है, ताकि प्रदेश इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके तथा प्रदेश से निजी क्षेत्र में भारी राजस्व बाहर न जाये। इसके अतिरिक्त प्रदेश में स्वरोजगार स्थापित हो तथा प्रदेश कुक्कुट पालन में आत्मनिर्भर बने।

इस प्रकार कुक्कुट पालन के क्षेत्र में प्रदेश को स्वावलम्बी बनाने के लिए कामर्शियल लेयर्स फार्म एवं ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की योजनायें चलाया जाना प्रस्तावित है।

2. कामर्शियल लेयर्स फार्मः–

- ❖ प्रदेश में 473 करोड़ अण्डा प्रतिवर्ष की खपत है जिसमें से 365 करोड़ अण्डा प्रतिवर्ष अन्य प्रदेशों से आयात हो रहा है।
- ❖ आयात के समतुल्य प्रदेश में ही अण्डा उत्पादन करने हेतु 123 लाख कामर्शिलय लेयर्स पक्षियों की आवश्यकता पड़ेगी।
- ❖ कामर्शियल लेयर्स फार्म की एक इकाई की क्षमता 30000 पक्षी की होगी जिसपर रू0 180.00 लाख की कुल लागत आयेगी जिसका 70 प्रतिशत अर्थात रू0 126.00 लाख बैंक ऋण तथा 30 प्रतिशत अर्थात रू0 54.00 लाख मार्जिन मनी होगा, जो लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
- ❖ इस योजना के लिए बैंक से प्राप्त किये जाने वाले ऋण पर 10 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति प्रस्तावित है तथा 10 प्रतिशत से अधिक ब्याज का भार उद्यमी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
- ❖ पांच वर्षों में 123 लाख पक्षियों के लिए 410 फार्म खोला जाना प्रस्तावित है।
- ❖ कामर्शियल लेयर्स फार्म की 01 यूनिट की स्थापना हेतु न्यूनतम 03 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी जिसकी व्यवस्था उद्यमी द्वारा स्वयं की जायेगी।
- ❖ इस योजना से पाँच वर्षो बाद 369 करोड़ अण्डा प्रतिवर्ष प्रदेश में ही उत्पादित होगा तथा कुल 172500 की संख्या में रोजगार का सृजन होगा।

3. **ब्रायलर पैरेन्ट फार्मः–**

- प्रदेश में कुक्कुट मांस की खपत 0.987 कि0ग्रा0 प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष है जिसमें से 0.150 कि0ग्रा0 का आयात अन्य प्रदेशों से हो रहा है तथा 0.837 कि0ग्रा0 कुक्कुट मांस का उत्पादन प्रदेश में हो रहा है जिसके लिए 972 लाख कामर्शियल एक दिवसीय ब्रायलर चूजे प्रतिवर्ष दूसरे प्रदेशों से आयात होते हैं
- आयात होने वाले 972 लाख चूजों को प्रदेश में ही उत्पादित करने के लिए 6 लाख ब्रायलर पैरेन्ट पक्षियों की आवश्यकता पड़ेगी।
- ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की एक लाभप्रद इकाई की क्षमता 10000 पक्षियों की होगी जिसके संचालन के लिए रू0 206.50 लाख की लागत आयेगी, जिसका 70 प्रतिशत अर्थात रू0 145.00 लाख बैंक ऋण होगा तथा 30 प्रतिशत अर्थात रू0 61.50 लाख मार्जिन मनी होगी, जो उद्यमी के द्वारा स्वयं वहन की जायेगी।
- इस योजना के लिए बैंक से प्राप्त किये जाने वाले ऋण पर 10 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति प्रस्तावित है तथा 10 प्रतिशत से अधिक ब्याज का भार उद्यमी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
- ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की 01 यूनिट की स्थापना हेतु न्यूनतम 06 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी जिसकी व्यवस्था स्वयं उद्यमी द्वारा की जायेगी।
- पाँच वर्षो बाद लगभग 975 लाख कामर्शियल ब्रायलर चूजें प्रदेश में ही उत्पादित होने लगेंगे तथा 91130 की संख्या में स्वरोजगार का सृजन होगा। इन उत्पादित चूजों से 1312.83 लाख कि0ग्रा0 कुक्कुट मांस का उत्पादन होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त इन योजनाओं के लिए निर्धारित भूमि पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट, आहार हेतु अवयवों को प्रवेश कर से मुक्त करने एवं कुक्कुट पालन के लिए आवश्यक प्लान्ट, मशीनरी, मण्डी शुल्क एवं विकास कर इत्यादि से छूट दिये जाने संबंधी अन्य सुविधायें उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

————————